न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40 ए/2000 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. देवदत्त पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान ———— (मृतक)

1/1 बिमला देवी पत्नि देवदत्त

1/2 रघुवीर

1/3 नन्दलाल

1/4 बाबूलाल

1/5 कृष्ण कुमार पुत्रान देवदत्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांटस

बनाम

1 श्योनारायण पुत्र धून्धा बेवाह छाज्या

2 गणपत पुत्र धून्धा बेवाह छाज्या

3 लीला पुत्र धून्धा बेवाह छाज्या जाति गूर्जरान निवासी ग्राम भग्गू का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4 मोतीराम पुत्र मक्खनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 ————(मृतक)

4/1 सोमदत्त

4/2 सुभाष

4/3 भानू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4/4 रोहिताश

4/5 तारा पुत्रान गोतीराम जाति महाजन निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान,

5 गोकल चन्द पुत्र मक्खन लाल जाति महाजन निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

6 मोहरिया पुत्र हेतराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ असल रेस्पो0

7 सब रजिस्ट्रार, मुण्डावर

8 खुशीराम पुत्र नत्थूराम

9 कमलाबाई पुत्री नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
दिनांक 11.8.2000

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 8.10.2021

---

1 यह अपील तहत अदालत सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा प्रकरण संख्या 7/98 उनवान देवदत्त बनाम श्योनारायण वगैरा में पारित आदेश दिनांक 11.8.2000, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में खातेदारी की घोषणा चाहने हेतु वाद पत्र पेश किया था, जो आदेश दिनांक 5.12.1997 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था । इसके बाद वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 7/1999 इस आशय का पेश किया था कि उनके वकील दीगर न्यायालय में व्यस्त थे, इसलिये नियत दिनांक 5.12.1997 को वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया । वकील साहब ने वादी प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि मुकदमे की पैरवी वे करते रहेंगे, जब जरूरत होगी, वादी प्रार्थी को बुला लेंगे । परन्तु वकील साहब ने कोई सूचना वाद पत्र के खारिज होने बाबत नहीं दी । दिनांक 8.3.1998 को वादी प्रार्थी अपने वकील से मिला तो वकील ने कहा कि मुझे आगामी तारीख पेशी का पता नहीं, अदालत में जाकर मालूम करो । वादी प्रार्थी अदालत में गया,तब मालूम हुआ कि वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया । अतः निवेदन है कि जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे तथा वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे । तहत अदालत ने आदेश दिनांक 11.8.2000 द्वारा वादी प्रार्थी का रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादी प्रार्थी ने यह अपील पेश की है।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विद्वान तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आधार लिया है, वह बिल्कुल निराधार है । वादी अपीलांट का विवादित आराजी में हित निहित है । वह सदभावी केता है और बयनामा दिनांक 4.6.73 के आधार पर वादी अपीलांट अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है । वादी अपीलांट के बयनामा दिनांक 4.6.73 के बाद जो बयनामे हुये हैं, वे विधि विरूद्ध निष्पादित हुये हैं, जिनको वादी अपीलांट ने सिविल न्यायालय में चैलेंज किया हुआ है । तहत अदालत में वादी अपीलांट ने देरी के संतोषजनक कारण बताये हैं । परन्तु फिर भी गलत तौर पर वादी अपीलांट का रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि जब वादी अपीलांट ने बयनामा दिनांक 4.6.73 के आधार पर अपना टाईटल सिद्ध कराने एवं इसके बाद हुये बयनामो को कैंसिल कराने का सिविल वाद पेश कर रखा है तो ऐसी स्थिति में अब राजस्व न्यायालय से उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता । वादी अपीलांट ने बयनामे के आधार पर खातेदारी चाहने हेतु वाद पत्र तहत अदालत में पेश किया था, जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था । इसके बाद वादी अपीलांट ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया । देरी को तभी माफ किया जा सकता, जब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

देरी के संतोषजनक कारण बताये जावे । इनको निर्णय की शुरू से ही जानकारी थी । इन्होंने देरी के संतोषजनक कारण नहीं बताये हैं । इतना ही नहीं, वादी अपीलांट को साक्ष्य पेश करने हेतु तहत अदालत द्वारा बार बार अवसर दिये गये थे, परन्तु इन्होंने साक्ष्य पेश नहीं की । ये अपने प्रकरण के प्रति शुरू से ही लापरवाह रहे हैं । तहत अदालत का आदेश विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील रेरपो0 संख्या 04 मोतीराम एवं अपीलांट देवदत्त का देहान्त हो गया था, जिनके वारिसान को रेकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्रों को आदेश दिनांक 6.2.2020 द्वारा स्वीकार किये गये थे । इसी आदेश दिनांक 6.2.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए स्वीकार कर अबेटमैंट को भी खारिज किया गया था ।

6 तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । तहत अदालत में पेश मूल वाद बउनवान देवदत्त बनाम श्योनारायण दिनांक 5.12.1997 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 5.12.1997 को वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुये थे, इसलिये वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज का दिया । वकील ने उक्त आदेश दिनांक 5.12.1997 की सूचना वादी प्रार्थी को नहीं दी । इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई । देरी को माफ किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे । हमने उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर किया । मूल वाद पत्र दिनांक 5.12.1997 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था, जिसे पुनः नम्बर पर लेनें हेतु वादी अपीलांट ने दिनांक 9.3.1998 को प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो स्पष्टतया मियाद बाहर था । प्रश्न यह है कि उक्त देरी को माफ किया जावे अथवा नहीं । अगर वकील वादी दिनांक 5.12.1997 को तहत अदालत में उपस्थित नहीं थे तो वो अगले दिन तहत अदालत में जाकर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ले सकते थे । वादी अपीलांट का भी यह कर्त्तव्य था कि वो अपने वकील से सम्पर्क कर अथवा तहत अदालत में जाकर समय समय पर अपने प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते रहते । परन्तु ना तो वकील ने तहत अदालत में जाकर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ली और ना ही वादी अपीलांट ने वकील से सम्पर्क कर अथवा तहत अदालत में जाकर अपने वाद पत्र की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वस्तुस्थिति की जानकारी ली । इस प्रकार वादी अपीलांट द्वारा देरी करना उसकी लापरवाही को दर्शाता है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि देरी को तभी माफ किया जावे, जब देरी के युक्तियुक्त कारण बतायें जावें । वादी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 में देरी के जो कारण बताये हैं, वे युक्तियुक्त कारण नहीं है ।

7 मूल वाद पत्रावली का अवलोकन किया । आदेशिका दिनांक 23.1.1988 के अनुसार वकील वादी ने साक्ष्य पेश करने हेतु मौका चाहा था । उक्त दिनांक 23.1.1988 से वाद पत्र के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की दिनांक 5.12.1997 तक वादी को साक्ष्य पेश करने के अनेकों अवसर प्रदान किये गये थे, परन्तु वादी अपीलांट द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई और साक्ष्य पेश करने के अवसर लेते रहे । इस प्रकार वादी अपीलांट द्वारा वाद पत्र के निस्तारण में सहयोग नहीं किया जा रहा था । वादी अपीलांट का यह रवैया उसकी उदासीनता को परिलक्षित करता है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 11.8.2000 यथावत रखा जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर